

में कामगार मुआवजा अधिनियम के अंतर्गत मुआवजे के लिए दावा नहीं कर सकता। कामगार दोनों हाथों से लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। उसे अपने दावा 'नियमन' की पद्धति का चयन करना होगा।

यह दरें टैरिफ दरें हैं जिन्हें सहायता और दिशा निर्देश हेतु दिया गया है। 1-1-2007 से प्रयुक्त मुक्तिकरण लागू होने के कारण दरें संबंधित कंपनी निश्चित करेंगी।

वित्तीयकीय खर्च

वित्तीयकीय खर्च	प्रीमियम का %
इसे अतिरिक्त प्रीमियम का मुरातान करके आवरित किया जा सकता है।	
तक बीमा राशि	
₹. 25,000	10% कर्मचारी क्षतिपूर्ति प्रीमियम
₹. 50,000	20% कर्मचारी क्षतिपूर्ति प्रीमियम
₹. 1,00,000	40% कर्मचारी क्षतिपूर्ति प्रीमियम

अथवा जैसा कि कंपनी द्वारा निर्णय लिया जाए।

वित्तीयकीय व्ययों में कोई छूट नहीं दी जाये।

न्यूनतम प्रीमियम : ₹. 50 + सेवा कर

1) दुर्घटना के कारण मजदूरी की हानि + वित्तीयकीय व्ययों का मुरातान कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बीमाधारक को किया जाएगा। किंतु मृत्यु / पी टी डी दावों का निपटान कामगार मुआवजा आमुक्त / लेबर कोर्ट के माध्यम से किया जाएगा।

2) प्रति ₹. 100/- के प्रीमियम पर 10 पैसे की स्टैमप फीस होगी - उदाहरण के लिए ₹. 1000/- के लिए ₹. 1/-, ₹. 1500/- के लिए ₹. 1.50/- तथा ₹. 2000/- के प्रीमियम के लिए ₹. 2/-।

3) रबीकरण - वार्षिक पॉलिसियों के रबीकरण पर कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा जब तक कि पॉलिसी के अंतर्गत शर्तें सं. 7 के अंतर्गत कंपनी द्वारा पॉलिसी रद्द न की गई हो।

(यह नियमक, पॉलिसी के प्रावधान की शर्तें सं. 6 में सामान्य रबीकरण पर प्रीमियम के समायोजन (बीमा की किसी भी अवधि के लिए या बीमा के अधीन कार्य का रुकना) प्रभावित नहीं होगी।)

दावा पद्धति / आवरकनार्फ:

1. पॉलिसी सं., दुर्घटना की तारीख, कामगार का नाम / अस्पताल का विवरण देते हुए तुरंत सूचना देना।
2. पूरी तरह से भरा हुआ दावा पत्र।
3. मूल बिल, मुरातान रसीद, स्लेट के साथ एक्स-रे रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन।
4. उपचार कर रहे डॉक्टर / अस्पताल से स्वरथता प्रमाण-पत्र।
5. जॉब रिपोर्ट यदि कोई हो तो।
6. प्रभावित व्यक्ति के आश्रितों की सूची, यदि लागू हो।
7. मूल मृत्यु प्रमाण-पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट, यदि लागू हो तो पंचनामा।
8. मजदूरी समायोजन विवरण।
9. मजदूरी और उपस्थित रजिस्टर।
10. आयु प्रमाण-पत्र।
11. अन्य कोई काजवात / वित्तके लिए रिपोर्ट मांगी गई हो।

अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीक के न्यू इंडिया एश्योरंस कं. लि. के कार्यालय से संपर्क करें।
कानूनी स्वाध्याय के लिए अंग्रेजी अवतरण मान्य होगा।

"बीमा आग्रह की विषय नसु है"

subsequently claim compensation under the Workmen's compensation Act. The workman cannot take with both hands. He has to choose his form of redressal.

These Rates are Tariff Rates given as reference rate for guidance only. Rate to be decided by respective Co. being De-Tariff w.e.f. 1-1-2007.

Medical Expenses

Sum Insured upto	% of Premium
Rs. 25,000	10% W.C. Premium
Rs. 50,000	20% W.C. Premium
Rs. 1,00,000	40% W.C. Premium

or as decided by the company.

No Discount to be given Medical expenses

Minimum Premium : Rs. 50 + Service Tax

(1) Loss of wages due to accident + medical expenses shall be paid by Co. directly to insured. However death / PTD claim to be settled through W.C. commissioner / Labour Court.

(2) Stamp fee is 10 paise per Rs. 100/- premium - e.g. Rs. 1/- for Rs. 1000-1.50 for Rs. 1500 & Rs. 2/- for 2000 premium.

(3) Cancellation : No refund may be granted for the cancellation of annual policies unless the policies are cancelled by the company as provided under policy condition No.7.

(This regulation does not affect the provision in policy condition no. 6 for adjustment of premium at the normal termination of any period of insurance or at the termination of the work which was the subject of insurance.)

Claim Procedure/Requirement :

1. Intimation at the earliest, giving policy No., date of accident, name of worker / hospital.
2. Claim form duly completed in every respect.
3. Original bills, payment receipt, X-Ray report with plate, prescription.
4. Fitness certificate from treating doctor/ hospital
5. Investigation report in any.
6. List of dependents of the deceased person if applicable.
7. Original death certificate, F.I.R., Panchnama if applicable.
8. Wages adjustment statement
9. Wages & presence register.
10. Age proof.
11. Any other paper/ reports asked for.

For further details contact your nearest NIA Office.
For legal interpretation English version will hold good.

"Insurance is the subject matter of Solicitation"


दि न्यू इंडिया एश्योरंस कं. लि. सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा अनुभवी गैर जीवन बीमा कंपनी है, जिसके 1100 प्रचालन कार्यालय हैं और भारत की समस्त कंपनियों की अग्रणी इस कंपनी ने विविध उत्पादों की लंबी सूची के साथ ही भारत की पहली एयर लाइन से लेकर उपग्रह तक का बीमा किया है और इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है।

The New India Assurance Co. Ltd. is the largest and the oldest non-life insurance company with more than 1100 operating offices and is a pioneer among Indian Companies, insuring the first domestic air-line to satellite with an array of products and having its Head Office at Mumbai.

हम भीमों को सुरक्षित रखते हैं और अन्य बहुत से दुर्घटनाओं को भी।

We also insure risks relating to

MARINE, FIRE, OVERSEAS MEDICAL, PERSONAL ACCIDENT and all other risks.



अग्रणी कंपनी का आश्वासन

ASSURANCE OF THE LEADER



दि न्यू इंडिया एश्योरंस कंपनी लिमिटेड
THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD.
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्ववाली / Wholly owned by the Govt. of India)

भारत की अग्रणी गैर-जीवन बीमा कंपनी
India's Premier Non-Life Insurance Company

एजेंसी विभाग
मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय - I
न्यू इंडिया भवन, 34/38, बैंक स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 023.

Agency Cell
Mumbai Regional Office - I
New India Bhawan, 34/38, Bank Street, Fort, Mumbai - 400 023.

(आई.आर.डी.ए. पंजीकरण संख्या / IRDA Registration No. : 190)
CIN No. : U99999 MH1919 GOI 000526
Website : www.newindia.co.in

आपके कामगार के लिए संपूर्ण सुरक्षा Overall SURAKSHA for your Workman

हम आपके कामगार की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं
We ensure that your Workmen is Secured

भारत सरकार द्वारा पारित अधिनियम, 1923-2009 के संशोधन 45.
Employees & Compensation Act, 1923 - Amendment 45 of 2009.



दि न्यू इंडिया एश्योरंस कंपनी लिमिटेड
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्ववाली)
भारत की अग्रणी गैर-जीवन बीमा कंपनी
THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD.
(Wholly owned by the Govt. of India)
India's Premier Non-Life Insurance Company

WORKMEN COMPENSATION

Workmen Compensation Act 1923 :

The Act provides for the payments of compensation by the Employer to his Employees (or their dependents in the event of fatal accident) if personal injury is caused to them by accidents arising out of and in the course of their employment. The definition of workman is widened in W.C. Act 2000 to include person whose employment is of casual nature as well as those employed otherwise than for the purposes of the employers trade or business.

The maximum compensation payable is upon the following (as per W.C. Amendment Act, 1984 and Dec. - 2000.

- | | Minimum | Maximum |
|---|--|-----------------|
| (A) For death resulted from injury | Rs. 1,20,000/- | Rs. 9,14,160/- |
| (Where Death results from the injury, an amount equal to 50% of the deceased workman multiplied by the relevant age factor OR an amount of Rs. 1,20,000/- whichever is more.) | | |
| (B) For Permanent total disablement | Rs. 1,40,000/- | Rs. 10,96,992/- |
| (Where permanent total disablement results from the injury, an amount equal to 60% of the workmen's monthly wages multiplied by the relevant age factor or an amount of Rs. 90,000 which ever is more.) | | |
| (C) Permanent partial disablement | (As per % of loss of earning capacity, it varies from 1% to 90%) | |
| (D) Temporary disablement: (An amount equal to 50% of monthly wages subject to maximum Rs. 4000/- No compensation would be payable upto 3 days disablement. But if it is more than 3 days but less than 28 days then 50% of balance days wages are payable. Exceeding 28 days then no deduction of 3 days.) | | |
| (Where the monthly wages of workman exceed Rs. 8000, then his monthly wage for the purpose of computation of compensation shall be deemed to be Rs. 2000 only. This would mean that the maximum liability under the policy will be limited to monthly wages of as. 8000/-) | | |

The Indian Fatal Accidents Act, 1855 : This Act enables claims for damages upto an unlimited amount to be maintained against a person who by his wrongful act, neglect or default causes death of another.

The Common Law : The common Law gives a person the right to claim from another damages upto a unlimited amount, for injury or loss sustained on account of the negligencies of such other person or his Servants acting in the scope of their Employment.

Following two Forms of cover are available :

Table-A : Indemnity against the Employer's legal liability to his Employees under the Indian Workmen's Compensation Act, 1923, and subsequent Amendments of said Act prior to the date of issue of the policy and the Indian Fatal Accidents Act, 1855, and at Common Law.

The Insurance under Table 'A' can be extended by charging a additional premium of 50% of book rate to cover the occupational diseases mentioned in part 'C' of Schedule-III of Workmen's Compensation amendment act.

This Insurance does not cover any interest and/or penalty which may be imposed on an insured on account of failure to comply with the requirements of the said Workmen's Compensation Act, 1923 as amended. The employer can cover their employees which are above

कामगार मुआवजा

कामगार मुआवजा अधिनियम 1923 :

इस अधिनियम में नियोजित दूर, अपने कर्मचारी को मुआवजे के मुताबिक (अथवा उनके आश्रितों को मंगीर दुर्घटना के घटने पर) के बारे में बताया गया है। जबकि नियुक्ति के दौरान किसी दुर्घटनावाला उन्हें वैयक्तिक चोट पहुंची हो। वर्ष 2000 के कामगार अधिनियम में कामगार की परिभाषा का प्रसार करते हुए अनिश्चित रूप से नियुक्त व्यक्ति के साथ साथ उन रोजगारों को भी शामिल किया गया है जो नियोजित की व्यापार अथवा व्यवसाय से जुड़ा है।

कामगार संशोधन अधिनियम 1984 तथा दिसम्बर 2000 के अनुसार मुताबिक किया जाने वाला अधिकतम मुआवजा इस प्रकार है।

- | न्यूनतम मुआवजा | अधिकतम मुआवजा |
|--|---|
| क) चोट के कारण हुई मृत्यु | ₹. 1,20,000/- ₹. 9,14,160/- |
| (जहाँ मृत्यु चोट के कारण हुई हो, मृतक कामगार की राशि के 50% को उचित आयु घटक से गुणित करके एक राशि अथवा ₹. 1,20,000/- जो भी अधिक हो) | |
| ख) स्थायी संपूर्ण विकलांगता | ₹. 1,40,000/- ₹. 10,96,992/- |
| (जहाँ स्थायी संपूर्ण विकलांगता चोट से उत्पन्न हो, कामगार की मासिक मजदूरी के 60% राशि को संबंधित आयु घटक से गुणित करके एक राशि अथवा ₹. 90,000/- जो भी अधिक हो) | |
| ग) स्थायी आंशिक विकलांगता | (अर्जन क्षमता में हुई हानि के % के अनुसार यह 1% से 9% के बीच परिवर्तनीय है) |
| घ) अस्थायी विकलांगता : (मासिक मजदूरी के 50% की राशि जो अधिकतम ₹. 4000/- हो सकती है। 3 दिन तक की विकलांगता के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा किंतु यदि यह 3 दिन से अधिक किंतु 28 दिनों से कम हो तो शेष दिनों की मजदूरी का 50% मुगतान किया जाएगा। यदि 28 दिनों से अधिक है तो 3 दिनों के लिए कोई कटौती नहीं होगी) | |
| (जहाँ पर कामगार की मजदूरी ₹. 8000/- मासिक हो अधिक हो तब मुआवजे की गणना के लिए उसकी मजदूरी केवल ₹. 2000/- समझी जाएगी। इसका अर्थ है कि पॉलिसी के अंतर्गत अधिकतम देयता ₹. 8000/- मासिक मजदूरी तक ही सीमित होगी) | |

भारतीय मंगीर दुर्घटना अधिनियम 1855 : यह अधिनियम, अपने अविकल्प कार्य या लापरवाही से अन्य व्यक्ति को मृत्यु का कारण बनने वाले व्यक्ति के विरुद्ध असीमित राशि का हानि दावा करने का अधिकार होता है।

सामान्य कानून : सामान्य कानून एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के कारण आई चोटों और हानि के लिए, दूसरे व्यक्ति से असीमित राशि हानि का दावा वसूल करने का अधिकार देता है। यह दावा उस व्यक्ति या उसके द्वारा नियुक्त सेवकों की लापरवाही के कारण हुआ हो।

निम्नलिखित दो प्रकार के आवरण उपलब्ध हैं :

सारणी - क : भारतीय कामगार मुआवजा अधिनियम 1923 और उसके बाद, पॉलिसी जारी करने की तारीख के पूर्व, कथित अधिनियम के संशोधनों तथा भारतीय मंगीर दुर्घटना अधिनियम 1855 और सामान्य कानून के अंतर्गत नियोजित की अपने कर्मचारियों के लिए कानूनी देयता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति।

कामगार मुआवजा अधिनियम की अनुसूची - 3 के भाग 'बि' में उल्लिखित व्यवसाय संबंधी बीमारियों को बही दर के 50% के अतिरिक्त प्रीमियम को वसूल करके, आवरित कर सारणी 'क' के अंतर्गत बीमा को विस्तारित किया जा सकता है।

यह बीमा, बीमाधारक के ऊपर, संशोधित कामगार मुआवजा अधिनियम 1923 की आवश्यकताओं का अनुपालन करने की एकजंम लगी गई पेंल्टी और अथवा व्याज को आवरित नहीं करता है।

कर सकता है। प्रीमियम की गणना, ₹. 96,000/- प्रति वर्ष अर्जन पर बही दर पर तथा आधिक्य राशि बही दर के 6.25% दर पर होगी। शारीरिक श्रम मजदूर के लिए ₹. 2.00 प्रति वर्ष प्रति मिली, तथा अन्य कर्मचारियों के लिए ₹. 1.20 प्रति वर्ष मिली, की राशि के अर्जन होगी।

सारणी - ख : भारतीय मंगीर दुर्घटना अधिनियम 1855 और सामान्य कानून के अंतर्गत नियोजित की अपने कर्मचारियों के लिए कानूनी देयता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति।

किंतु ऐसे मामलों में जहाँ जोखिम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की परिभाषा में आता हो तब, उक्त अधिनियम में दी गई कर्मचारी की परिभाषा के अंतर्गत न आनेवाले सरकारी या स्टफ के लिए, अलग से सारणी 'ख' की पॉलिसियां जारी करने की अनुमति है, बशर्त कि इस प्रकार के सभी कर्मचारी बीमाधारक की सेवा में हों तथा उनको वहाँ शामिल किया गया हो।

टिप्पणी:

- 1) 'अर्जन' की परिभाषा में, नियमित वेतन/मजदूरी, सम्प्रतिरिप्ता, आहार/आवास का मूल्य, गृह आवास, बीमा और सभी वेतन इतर लाभ, नकदी अथवा अन्य प्रकार की सुविधाएँ व अभिलाषा शामिल हैं।
- 2) नवीनीकरण के समय बीमाधारक से मजदूरी समाप्त होने तक विवरण प्राप्त करना चाहिए तथा उसके अनुसार प्रीमियम का समायोजन करना चाहिए।
- 3) पॉलिसी समाप्ति के एक माह के अंदर, वास्तविक अर्जन विवरण कंपनी के पास जमा करना चाहिए।
- 4) पॉलिसी में सभी व्यक्तियों को शामिल करना चाहिए। व्यक्तियों के चुनाव की अनुमति नहीं है।
- 5) 'कामगार मुआवजा कामगार' के पास नियोजित द्वारा अंतिम क्रिया खर्च राशि जमा कराय जाने के लिए ₹. 2500/- से ₹. 5000/- है।
- 6) पॉलिसी, जो 12 महीने से अधिक समय के लिए जारी की गई हो, जहाँ पर बीमाधारक की सुविधा के लिए, एक विशिष्ट तारीख पर नवीनीकरण की आवश्यकता अनुसार एक अतिरिक्त अ-सम अवधि की जरूरत हो, ऐसी पॉलिसी को छोड़कर, सभी पॉलिसियाँ 12 महीने के लिए जारी की जानी चाहिए।
- 7) ऐसे मामलों में जहाँ पर विशिष्ट ठेका अथवा कार्य 12 महीने से कम अवधि में पूरा होनावाला हो वहाँ 12 महीने से कम अवधि की पॉलिसी जारी की जा सकती है बशर्त कि पॉलिसियाँ, शामिल पूर्ण अवधि के लिए जारी की जाएँ।

अपवर्जन :

- क) 1) पॉलिसी में युद्ध और संबंध जोखिम आवरित नहीं होंगे।
- ii) ठेकेदार के कर्मचारियों के प्रति देयता (जब तक विशिष्ट रूप से आवरित न हो)।
- iii) कानून की परिभाषा में न आनेवाला कोई भी कर्मचारी।
- iv) किसी प्रकार की संविदा जन्मित देयता और टैरिफ के अनुसार इस प्रकार की अन्य देयताएँ।
- ख) ऐसी चोटें जिससे मृत्यु न हो किंतु जो प्रतियोग्य दुर्घटनावाला हों।
- ग) मदिरा या मादक द्रव्यों से प्रभावित कामगार।
- घ) कामगारों की सुरक्षा के लिए जारी किये गए सुरत आदेशों अथवा बनाए गए नियमों की कामगार द्वारा जानबूझ कर की गई अवहेलना।
- ण) कामगारों को दिने गए किसी सुरक्षा गार्ड अथवा वस्तु को उतारना या अवहेलना करना जबकि उसे पता हो कि उक्त वस्तुएं उसकी सुरक्षा हेतु प्रदान की गई हैं।
- च) यह नोट करना बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि एक कामगार संस्थान कामगार मुआवजा अनुसूक्त के पास, कामगार के जख्मों के लिए दावा करता है तब वह बाद में, अपने नियोजित के विरुद्ध दायी मुकदमा दायर नहीं सकता, बसुरी और, यदि वह सामान्य कानून के अंतर्गत दावा करता है तो वह बाद

Rs. 8000 salary/wages. The premium shall be calculated at book rate on the total earning upto Rs. 96,000/- per annum and Excess amount at the rate of 6.25% of book rate. Subject to minimum of Rs. 2.00 per annum per mille for manual worker and Rs. 1.20 per annum per mille for other employees.

Table-B : Indemnity against the Employer's legal liability to his Employees under the Indian Fatal Accidents Act, 1855 and at Common Law.

In case of risk coming under the preview of the employee's state Insurance Act 1948, it is however permissible to issue separate Table 'B' Policies covering those member or staff who are not employees within the meaning of that Act provided all such employees in the insured's service are included therein.

Note :

- (1) The term earnings includes regular salary/wages, overtime, value of boarding/lodging, housing accommodation, bonus and all perquisites, privileges or benefits in cash or kind.
- (2) Wages adjustment statement should be obtained from the insured at the renewals and premium to be adjusted accordingly.
- (3) Actual earning details should be submitted to co. within one month of the expiry of the policy.
- (4) All persons should be included in the policy. Selection of persons are prohibited.
- (5) The Provision for funeral expenses to be deposited by the Employer with WC. Commissioner is Rs. 2500 to 5000/-.
- (6) All policies are to be issued for 12 months except that : Policies may be issued for a period in excess of 12 months where an additional odd period is required to make a policy renewable on a particular date to meet the convenience of the insured.
- (7) Policies may be issued for a period less than 12 months in cases of specific contacts or work which will be completed in less than 12 months provided policies be written for the full period involved.

Exclusions :

- (a) (i) The policy does not cover War and allied perils.
- (ii) Liability to employees of contractor (unless specifically covered)
- (iii) Any employee who is not a workman within the meaning of the laws,
- (iv) Any contractual liability & such other as per tariff.
- (b) For any injury not resulting in death caused by accident directly attributable to
- (c) Workman under the influence of drinks or drugs.
- (d) Willful disobedience of the workmen, to an order expressly given or to a rule expressly framed for the purpose of securing the safety of the workmen.
- (e) Willful removal or disregard by the workman of any safety guard or other device which he knew to have been provided for the purpose of securing his safety.
- (f) It is important to note that if a workman institutes a claim before the Workmen's Compensation Commissioner for damages in respect of his injury, he cannot subsequently file a civil suit against his employer. On the other hand, if he institute a claim under Common Law, he cannot